समाहरणालय, मधेपुरा

(आपदा प्रबंधन शाखा)

आदेश

अपर सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना के पत्रांक-08/आ0प्र0, दिनांक 20-05-014 के द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में गैर योजना मुख्य बजट शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण, राहत उपशीर्ष-02- लघु शीर्ष -112- जनसंख्या का निष्क्रमण, उपशीर्ष -0002- जनसंख्या का निष्क्रमण, विपत्र कोर्ड- N 2245021120002 मद में रू0 40,00,000/- (चालीस लाख) रू0 मात्र का आवंटन प्राप्त हुआ है। उक्त आवंटन को संबंधित अंचलाधिकारियों को संगत विभागीय निदेश एवं वित्तीय प्रावधान के आलोक में निम्नाकिंत शर्त्तो के अधीन निम्न विवरणी के अनुसार नामित कार्यालय/ पदाधिकारी को उपावंटित किया जाता है :-

क0 सं0	उपावंटन प्राप्त करनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	उपावंटन की राशि	कुल उपावंटित राशि
1	अंचल अधिकारी, मधेपुरा	2,00,000	2,00,000
2	अंचल अधिकारी, सिंहेश्वर	1,00,000	1,00,000
3	अंचल अधिकारी, शंकरपुर	2,00,000	2,00,000
4	अंचल अधिकारी, गम्हरिया	50,000	50,000
5	अंचल अधिकारी, घैलाढ़	50,000	50,000
6	अंचल अधिकारी, कुमारखंड	4,00,000	4,00,000
7	अंचल अधिकारी, मुरलीगंज	4,00,000	4,00,000
8	अंचल अधिकारी, ग्वालपाड़ा	3,00,000	3,00,000
9	अंचल अधिकारी, उदाकिशुनगंज	2,00,000	2,00,000
10	अंचल अधिकारी, बिहारीगंज	1,00,000	1,00,000
11	अंचल अधिकारी, चौसा	8,00,000	8,00,000
12	अंचल अधिकारी, पुरैनी	4,00,000	4,00,000
13	अंचल अधिकारी, आलमनगर	8,00,000	8,00,000
	कुल योग-	**40,00,000.00**	**40,00,000.00**

(मो0 40,00,000/- (चालीस लाख) रू0

उपावंटन की शर्तें :-

1-यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2014-15 में अंचलों में संभावित बाढ़-2014 के निमित्त जनसंख्या निष्क्रमण के मद्देनजर आकलित कर निर्गत किया जा रहा है।

2-यह आवंटन राज्य कार्यकारिणी समिति की दिनांक 15-05-2014 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही संख्या-2 में लिए गए निर्णय के आलोक में बाढ़ प्रवण जिलों को बाढ़ पूर्व तैयारी हेतु निर्गत किया जा रहा है।

3-आवंटित राशि का व्यय विभागीय मानदर के आलोक में उसी मद में किया जाए, जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाए अनयथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

4–आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाए। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए०सी० विपत्र के माध्यम से की जाए। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी०सी० बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण–पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15–03–2015 तक शीघ्र भेज दिया जाए।

5–पूर्व आवंटित राशि, जिनकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाए, तो दिनांक 15–03–2015 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाए।

6–आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष /उप मुख्य शीर्ष – लघु शीर्ष /उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाए। विपत्र पर सही शीर्ष /उपशीर्ष का मुहर लगाया जाए अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7–यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561 (वि०) (2) दिनांक 17–04–98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

8–यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अव्यय राशि का प्रत्यार्पण दिनांक 15–03–2015 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाए।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/–
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक 245 /आ0प्र0, मधेपुरा, दिनांक 03.08.14

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा/ विशेष सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं सभी संबंधितों को ई–मेल से भेजने तथा जिले के वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु प्रेषित।

03/08/14
जिलाधिकारी
मधेपुरा।